राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

सं. एफ.6(179)परि/टैक्स/एचक्यू/95/25 जयपुर, दिनांकः 31.03.2006

<u>अधिसूचना</u>

राजस्थान मोटर यान कराधान अधिनियम, 1951 (1951 का राजस्थान अधिनियम सं.11) की धारा 4–ख द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस विभाग की (समय–समय पर यथासंशोधित) अधिसूचना सं. एफ.6(179)परि/टैक्स/एच.क्यू./95/11जी, दिनांक 22.7.2000 को अतिष्ठित करते हुए राज्य सरकार, इसके द्वारा इसके साथ संलग्न सारणी के स्तंभ सं. 1 में विनिर्दिष्ट इस राज्य के पर्यटन परमिटों पर चल रहे यानों पर विशेष सड़क कर की दर, उसके स्तंभ सं. 2 में प्रत्येक के सामने विनिर्दिष्ट दरों पर विहित करती है :–

सारणी

परिवहन यान का वर्णन	कर की वार्षिक दर
1. चौपहिया मोटर यान	
(i) ड्राइवर को छोड़कर 4 तक की सीट क्षमता वाले	यान की लागत का 0.80%
(ii) ड्राइवर को छोड़कर 4 से अधिक किन्तु ड्राइवर को छोड़कर 8 तक की सीट क्षमता वाले	यान की लागत का 1.75%
(iii) ड्राइवर को छोड़कर 9 तक की सीट क्षमता वाले	यान की लागत का 3.0%
(iv) ड्राइवर को छोड़कर 9 से अधिक किन्तु ड्राइवर को छोड़कर 13 तक की सीट क्षमता वाले	चैसिस/यान की लागत का 6.0%

(v) ड्राइवर को छोड़कर 13 से अधिक और ड्राइवर और कण्डक्टर को छोड़कर 20 तक की सीट क्षमता वाले यान (क) चैसिस के रूप में क्रय किये जायें (ख) सम्पूर्ण बॉडी के साथ क्रय किये जायें	 चैसिस की लागत का 16% यान की लागत का 14%
(vi) ड्राइवर और कण्डक्टर को छोड़कर 20 से अधिक और ड्राइवर और कण्डक्टर को छोड़कर 30 तक की सीट क्षमता वाले यान (क) चैसिस के रूप में क्रय किये जायें (ख) सम्पूर्ण बॉडी के साथ क्रय किये जायें	 चैसिस की लागत का 30% यान की लागत का 22%
(vii) ड्राइवर और कण्डक्टर को छोड़कर 30 से अधिक सीट क्षमता वाले (क) चैसिस के रूप में क्रय किये जायें (ख) सम्पूर्ण बॉडी के साथ क्रय किये जायें	 चैसिस की लागत का 36% यान की लागत का 22%
2. <u>चौपहिया स्लीपर कोच</u> (i) ड्राइवर और कण्डक्टर को छोड़कर 20 से अधिक और ड्राइवर और कण्डक्टर को	

छोड़कर 30 तक की सीट क्षमता वाले	
(क) चैसिस के रूप में क्रय किये जायें	चैसिस की लागत का 30%
(ख) सम्पूर्ण बॉडी के साथ क्रय किये जायें	यान की लागत का 20%
(ii) ड्राइवर और कण्डक्टर को छोड़कर 30 से अधिक और ड्राइवर और कण्डक्टर को छोड़कर 40 तक की सीट क्षमता वाले	
(क) चैसिस के रूप में क्रय किये जायें	चैसिस की लागत का 36%
(ख) सम्पूर्ण बॉडी के साथ क्रय किये जायें	यान की लागत का 24%
(iii) ड्राइवर और कण्डक्टर को छोड़कर 40 से अधिक सीट क्षमता वाले	
(क) चैसिस के रूप में क्रय किये जायें	चैसिस की लागत का 42%
(ख) सम्पूर्ण बॉडी के साथ क्रय किये जायें	यान की लागत का 28%

परन्तु :

(1) ऊपर खण्ड 2 में यथा–वर्णित यात्री यान यदि परमिट के बिना भाड़े या पारिश्रमिक पर चलते हुए पाये जायें तो ऐसे यान, उसी प्रकार के पर्यटन परमिटों के अन्तर्गत आने वाले यानों के लिए यथा–अधिसूचित विशेष सड़क कर का, उस सम्पूर्ण कलैण्डर मास के लिए, जिसमें यान भाड़े या पारिश्रमिक पर चलता हुआ पाया गया था, संदाय करने के दायी होंगे।

(2) खण्ड 1 और खण्ड 2 के उपखण्ड (v), (vi) और (vii) के अधीन आने वाले मोटर यानों के लिए विशेष सड़क कर की अधिकतम रकम 25,000 रु. प्रतिमास से अधिक नहीं होगी।

टिप्पणीः– इस अधिसूचना के अधीन संदेय कर के अतिरिक्त, इस अधिसूचना के प्रवृत्त होने के पूर्व किसी भी कालावधि के लिए अधिनियम के अधीन संदेय कोई कर या शास्ति किसी मोटर यान के स्वामी या उसका कब्जा या नियंत्रण रखने वाले व्यक्ति द्वारा संदत्त की जायेगी।

स्पष्टीकरणः– (1) कर की संगणना के लिए यान/चैसिस की लागत वह होगी जो राजस्थान मोटर यान कराधान नियम, 1951 के नियम 42 के अधीन स्पष्ट की गयी है।

(2) स्लीपर कोच की सीट क्षमता की संगणना के प्रयोजन के लिए प्रत्येक बर्थ 2 सीट के बराबर मानी जायेगी।

यह अधिसूचना 1.4.2006 से प्रवृत होगी।

राज्यपाल के आदेश से,

(हनुवंत सिंह भाटी)
शासन उप सचिव

सं. एफ.6(179)परि/टैक्स/एचक्यू/95/25 जयपुर, दिनांकः 31.03.2006

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निदेशक, राज्य केन्द्रीय मुद्राणालय, जयपुर को राजस्थान राजपत्र के असाधारण अंक दिनांक 27.03.2006 मे प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशित अंक की प्रति इस विभाग को भिजवाने हेतु।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, मुख्यमंत्री राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, परिवहन मंत्री राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव (गृह एवं यातायात) राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सचिव, प्रमुख सचिव वित्त राजस्थान, जयपुर।
6. निजि सचिव, परिवहन आयुक्त राजस्थान, जयपुर।
7. महालेखाकार (वाणिज्यिक एवं प्राप्ति लेखा परीक्षा), राजस्थान, जयपुर।
8. प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जयपुर ।
9. विधि एवं न्यायिक विभाग, जयपुर ।
10. समस्त मुख्यालय अधिकारी, परिवहन विभाग, जयपुर ।
11. श्री संजय सिंघल, प्रोग्रामर को विभाग की वेबसाइट की अपडेटिंग हेतु।
12. समस्त प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारी ।
13. समस्त प्रभारी कर संग्रह केन्द्र, राजस्थान ।

शासन उप सचिव